न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 72 / 2017 दायरा दिनांक : 02.05.2017

उनवान

रामप्रसाद आयु 75 साल पुत्र श्री जानकी लाल, जाति धाकड़, निवासी सम्बलपुर, तहसील बारां, जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री मदन लाल गालव

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 09.05.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 23.03.2017 प्रकरण संख्या 26 / 2017 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण सं0 1136 / 2016 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.11.2016 से अपीलांट को ग्राम फतेहपुर तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 1223 व 1224 रकबा 0.09 हैक्टर, किस्म गै. मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 60 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 50 / – रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.03.2017 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चातवर्तीय अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त निर्णय पारित किया है किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि अपीलांट 75 साल का वृद्ध व्यक्ति है तथा उसने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है । अपीलांट ने रास्ते में कब्जा नहीं किया है, जबकि मौके पर पक्का रास्ता कायम है । अधीनस्थ न्यायालय को पैमाईश की कार्यवाही करनी चाहिए ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । मौके पर पैमाईश की जाकर काश्तकारों की उपस्थिति में की जाये तथा इस तथ्य को भी देखा जाये कि वास्तव में वहां रास्ते की आवश्यकता है अथवा नहीं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2017 अपास्त किया जाता है और सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 09.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा